

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/16

दिनांक :- 04.07.2022

मुकदमा नंबर 168/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार 2. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार 3. नेनाराम पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार 4. भरत पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार 5. दयाराम पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार सभी निवासीयान किटनोद तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1.दुदारमा पुत्र श्री प्रतापाराम जाति मेघवाल 2.विशनाराम पुत्र श्री रूगनाथराम जाति कलबी 3.देवाराम पुत्र श्री रूगनाथराम जाति कलबी 4.रम्भादेवी बैवा रूगनाथराम जाति कलबी 5.बदामीदेवी पत्नी हडमानचन्द कौम सोनी 6.तिजोदेवी पत्नी मांगीलाल जाति कलबी 7.पानीदेवी पत्नी जवाराराम जाति कलबी 8.हडमानराम पुत्र श्री लिछमणाराम जाति कुम्हार 9.दुर्गाराम पुत्र श्री लिछमणाराम जाति कुम्हार 10.शंकर गोद पुत्र श्री परागा जाति कुम्हार 11.बद्रीमल पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार 12.पोकरराम पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार 13.भंवरलाल पुत्र श्री रणछोड़राम जाति कुम्हार 14.ताराराम पुत्र श्री रणछोड़राम जाति कुम्हार 15.गौतम पुत्र श्री रणछोड़राम जाति कुम्हार 16.नारायणराम पुत्र श्री रणछोड़राम जाति कुम्हार 17.नेनाराम पुत्र श्री रणछोड़राम जाति कुम्हार 18.केहराराम पुत्र र रणछोड़राम जाति कुम्हार 19.टीपूदेवी बैवा रणछोड़राम जाति कुम्हार 20.बगदाराम पुत्र श्री गोरखाराम जाति कुम्हार 21.ओटाराम पुत्र गोरखाराम जाति कुम्हार 22.हरचन्द पुत्र गोरखाराम जाति कुम्हार 23.सीता बैवा गोरखाराम जाति कुम्हार सभी निवासीयान किटनोद तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 24.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार

आदेश

दिनांक :-24.12.2021

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा किटनोद पटवार हल्का किटनोद तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 938/449 रकबा 28 बीघा 17 विस्वा सरहद विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है । उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।



क्रमांक /रीडर/ 2021/ 17

(नरेश सोनी)
उप सहायक अधिकारी,
बालोतरा जिला बाडमेर

दिनांक :- 4/1/22

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।

उप सहायक अधिकारी